GURU PRASAD DEWANGAN
Digitally signed by GURU PRASAD DEWANGAN
Date: 2024.01.06 16:56:15 +0530

न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खैरागढ़, जिला– राजनांदगांव (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी : गुरु प्रसाद देवांगन)

निर्णय़ दिनांक – 06.01.2024
दाण्डिक प्रकरण क्र. – 976/2022
संस्थित दिनांक – 11.10.2022
थाना ठेलकाडीह, अपराध क्र. – 214/2022

अभियोजन	छ.ग. राज्य द्वारा, आरक्षी केन्द्र ठेलकाडीह, जिला – राजनांदगांव
अभियोजन द्वारा	श्री देवेन्द्र सिंह ए.डी.पी.ओ.
आरोपी	बिरेन्द्र सिन्हा आ. घनश्याम सिन्हा
आरोपी द्वारा	श्री भुनेश्वर वर्मा अधिवक्ता

अपराध दिनांक	08.08.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	08.08.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	11.10.2022
अपराध विवरण विरचित दिनांक	23.03.2023
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	06.01.2023
निर्णय दिनांक	06.01.2023
दण्डादेश दिनांक यदि कोई हो	–

अभियुक्त का विवरण

क्र.	आरोपी का नाम	गिरफ़्तारी दिनांक	आरोपित अपराध की धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत अवधि (धारा 428 द.प्र.सं.)
1	बिरेन्द्र सिन्हा आ. घनश्याम सिन्हा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सिंगारपुर थाना ठेलकाडीह जिला के.सी.जी.(छ .ग.)	08.08.2022	धारा 34(1)(ब) छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915	दोषमुक्त	निरंक

अनुक्रमणिका

सरल क्रमांक	विवरण	पेज संख्या
1	निर्णय का शीर्षक	1
2	अधिवक्ताओ की उपस्थिति	1
3	आरोप	2
4	स्वीकृत तथ्य	3
5	अभियोजन कहानी	3
6	आरोपी की प्रतिरक्षा	4
7	विचारणीय प्रश्न	4
8	कारण एवं निष्कर्ष	4
9	सजा	–
10	अभिरक्षा की अवधि	9
11	संपत्ति का व्ययन	9
12	प्रतिकर/ मुआवजा	–
13	धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र	10
14	निर्णय की प्रतिलिपि	9

// निर्णय //
(आज दिनांक 06.01.2024 को घोषित)

1. आरोपी बिरेन्द्र सिन्हा के विरुद्ध धारा 34(1)(ब) छ.ग.आबकारी अधिनियम,1915 के अंतर्गत आरोप हैं कि उसने दिनांक 08.08.2022 को समय 20.50 बजे स्थान आयुष्मान स्वास्थ्य केन्द्र के सामने सिंगारपुर थाना ठेलकाडीह में एक सफेद रंग के बाजारु थैले में 3 बॉटल गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 750–750 एम.एल भरा हुआ एवं 1 बॉटल में 375 एम.एल. भरा हुआ कुल मात्रा 2.625 लीटर को बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के अवैध रुप से विक्रय के प्रयोजन हेतु अपने कब्जे में रखा ।

2. प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं हैं ।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना ठेलकाडीह के प्रधान आरक्षक दिनांक 08.08.2022 को अपने हमराह स्टाफ के साथ जुर्म जरायम पता साजी एवं टाउन/देहात भ्रमण पर रवाना हुआ था इस दौरान ग्राम सिंगारपुर में मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति आयुष्मान स्वास्थ्य केन्द्र के सामने शराब बिक्री कर रहा है । सूचना पर गवाह मनोज जांगडे एवं हरिश यादव को धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता की नोटिस जारी कर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर, मुखबीर पंचनामा तैयार किया गया एवं घटनास्थल पहुंचकर अभियुक्त को पकडा गया तथा नाम व पता पूछे जाने पर अपना नाम बिरेन्द्र सिन्हा होना बताया जिसके कब्जे से एक सफेद रंग के बाजारु थैले में 3 बॉटल गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 750-750 एम.एल भरा हुआ एवं 1 बॉटल में 375 एम.एल. भरा हुआ कुल मात्रा 2.625 लीटर कीमती 1400 /- रुपये एव बिक्री रकम 200/- रुपये बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया तथा मौके पर धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वैध दस्तावेज पेश करने कहा किंतु उसके द्वारा वैध दस्तावेज नहीं होना व्यक्त करते हुए लिखकर देने पर आरोपी के कब्जे से शराब एवं जप्ती रकम को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया । जप्त शराब में से एक बॉटल शराब को परीक्षण हेतु पृथक से निकाला कर मौके पर सीलबंद कर आरोपी को गिरफतार किया गया तथा देहाती नालिसी लिखा गया आरोपी का यह कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी बिरेन्द्र सिन्हा को दिनांक 08.08.2022 के 21.05 बजें विधिवत् गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर

जमानत मुचलका पर रिहा किया । घटना स्थल का गवाहों के निशा देही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया एवं गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया, वापसी बाद थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

4. आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1)(ब) छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर पढकर सुनाया एवं समझाया गया । आरोपी द्वारा जुर्म अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया ।

5. प्रकरण अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में आये तथ्यो के आधार पर आरोपी का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया हैं । अभियुक्त ने बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया हैं ।

6. **प्रकरण में निम्निलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैंः–**

क्या आरोपी ने दिनांक 08.08.2022 को समय 20.50 बजे स्थान आयुष्मान स्वास्थ्य केन्द्र के सामने सिंगारपुर थाना ठेलकाडीह में एक सफेद रंग के बाजारु थैले में 3 बॉटल गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 750–750 एम.एल भरा हुआ एवं 1 बॉटल में 375 एम.एल. भरा हुआ कुल मात्रा 2.625 लीटर को बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के अवैध रुप से बिक्री के प्रयोजन हेतु अपने कब्जे में रखा ?

<u>विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

7. अभियोजन ने प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अपराध को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन साक्षी क्रं. 3 प्रधान आरक्षक रमेश कोरेटी का साक्ष्य परीक्षण

कराया जिसमें साक्षी नें अभिकथित किया हैं कि दिनांक 08.08.2022 को मुखबिर से इस आशय की सूचना मिली कि ग्राम सिंगारपुर में आयुष्मान स्वास्थ्य केन्द्र के सामने एक व्यक्ति अवैध रुप से शराब बिक्री कर रहा है उक्त सूचना के आधार पर धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस प्रदर्श पी–1 है । गवाहों को नोटिस देकर मुखबिर सूचना पंचनामा प्रदर्श पी. 2 तैयार किया गया जिसके स से स भाग में उसके हस्ताक्षर हैं । तदपश्चात गवाहों के समक्ष घेराबंदी कर आरोपी को पकडा गया तथा आरोपी के कब्जे से 3 बॉटल गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 750–750 एवं 1 अद्धी जिसमें 375 एम.एल. शराब भरा हुआ एवं शराब बिक्री रकम 200/– रुपये बरामद कर बरामदगी पंचनामा प्रदर्श पी–3 तैयार किया गया तथा आरोपी का नाम व पता पूछने पर अपना नाम बिरेन्द्र सिन्हा निवासी सिंगारपुर का होना बताया।

8. अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 रमेश कोरेटी ने यह भी बताया है कि शराब रखने के संबंध में आरोपी बिरेन्द्र सिन्हा को धारा 91 की नोटिस देकर वैध कागजात की मांग करने पर उसके द्वारा कोई कागजात नहीं होना लिखित में दिया गया उक्त संबंध में प्रस्तुत नोटिस प्रदर्श पी. 11 है जिसके अ से अ भाग में साक्षी के हस्ताक्षर हैं एवं ब से ब भाग में आरोपी के हस्ताक्षर हैं । तदपश्चात उक्त मदिरा को गवाहों के समक्ष जप्ती पत्र प्रदर्श पी–6 के अनुसार जप्त किया गया जिसमें जिसके स से स भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं । इस साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि उसने घटनास्थल का निरीक्षण कर मौका नजरी नक्शा प्रदर्श पी–9 तैयार कर जप्तशुदा शराब को परीक्षण हेतु प्रदर्श पी–12 के तहत आरक्षक संतोष शुक्ला के माध्यम से आबकारी कार्यालय राजनांदगॉव को प्रेषित किया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

9. अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 रमेश कोरेटी ने अपने साक्ष्य परीक्षण में यह भी बताया है कि प्रकरण में संलग्न रवानगी एवं वापसी क्रमशः प्रदर्श पी–13 एवं 14 है जिसके अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है तथा देहाती नालिसी प्रदर्श पी–16 है । साक्षी द्वारा वापस थाने आकर प्रदर्श पी–17 के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था जिसके अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है । आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1) (ब) का अपराध घटित होना पाये जाने से आरोपी बिरेन्द्र सिन्हा को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत कराकर विधिवत् दिनांक 08.08.2022 के समय 21.05 बजें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी. 7 है जिसके स से स भाग में साक्षी के हस्ताक्षर हैं । जुर्म जमानतीय होने से आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर मौके पर जमानत मुचलके पर छोड़ा गया । सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । प्रतिपरीक्षण मे साक्षी ने स्वीकार किया हैं कि देहाती नालिसी प्रदर्श पी–16 में उसे मुखबीर से सूचना किस माध्यम से प्राप्त हुई उसका उल्लेख नहीं है । साक्षी ने सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने आसपास में स्थित दुकान के लोगों को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया है ।

10. प्रकरण मे अभियोजन के द्वारा जब्ती साक्षी अभियोजन साक्षी क्रं. 1 एवं अभियोजन साक्षी क्रं. 2 क्रमश: मनोज जांगडे एवं हरीश यादव का साक्ष्य परीक्षण कराया हैं जिसमे साक्षियों ने हाजिर अदालत अभियुक्त को पहचानना व्यक्त करते हुये घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया है । इन साक्षियों ने नोटिस धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी–1, मुखबिर सूचना पंचनामा प्रदर्श पी–2, बरामदगी पंचनामा प्रदर्श पी–3, तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–4, नमुना सील पंचनामा

प्रदर्श पी–5, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–6 एवं गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी–7 के क्रमशः अ से अ एवं ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना बताये हैं । साक्षियो के द्वारा ऐसे किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया हैं जो प्रकरण के तथ्यो को सिद्ध करने के सहायक हो । न्यायालय द्वारा प्रश्न पुछे जाने पर साक्षियों के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नही किया हैं ।

11. प्रकरण में इन साक्षियों से प्रतिपरीक्षण किए जाने पर इस साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, उन्होने पुलिस वालों को कहने पर 6–7 कागजों पर हस्ताक्षर किये थे । इस साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उक्त कागजों पर पुलिस वालों ने क्या लिखापढी किए थे इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं है और न ही उन्हें पढकर सुनाया एवं समझाया था । साक्षियो ने यह भी स्वीकार किया है कि जब उसने हस्ताक्षर किया था उस समय पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त और कोई अन्य व्यक्ति नहीं था ।

12. बचाव पक्ष की ओर से आरोपी के विद्वान अधिवक्ता नें अपने तर्क में व्यक्त किया हैं कि पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा आरोपी की तलाशी के पूर्व स्वयं की तलाशी गवाहन के समक्ष नहीं दिया हैं एवं स्वयं पेट्रोलिंग पार्टी का तलाशी पंचनामा पेश नहीं किया किया गया हैं । अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को एवं विवेचक के कार्यवाही को स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा समर्थन नहीं किया गया हैं, इसलिए सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही दूषित हैं ।

13. प्रकरण मे अभियोजन के द्वारा जिन साक्षीयों के समक्ष जप्ती की कार्यवाही किया जाना अभिकथित किया है उन साक्षियों ने विवेचक के कथनों की पुष्टि

नहीं किया है और न ही साक्ष्य से विवेचक के कथनों की समर्थन किया है । प्रकरण मे विवेचक के द्वारा की गई समस्त कार्यवाहियों की पुष्टि अभियोजन के दोनों स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा नहीं की गई है। प्रकरण मे विवेचक के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगणों के द्वारा नहीं किये जाने के कारण तथा विवेचक की कथित कार्यवाही मे कई त्रुटियां परिलक्षित होने के कारण अभियोजन का प्रकरण संदेहास्पद हो जाता है। विधि का सुस्थापित प्रावधान है कि संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाता है ।

14. उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य विश्लेषण, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन से परिलक्षित होता हैं कि अभियोजन, आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त शंका से परे प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 08.08.2022 को समय 20.50 बजे स्थान आयुष्मान स्वास्थ्य केन्द्र के सामने सिंगारपुर थाना ठेलकाडीह में एक सफेद रंग के बाजारु थैले में 3 बॉटल गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 750-750 एम.एल भरा हुआ एवं 1 बॉटल में 375 एम.एल. भरा हुआ कुल मात्रा 2.625 लीटर बिना किसी वैध अनुज्ञा के अवैध रुप से बिक्री के प्रयोजन हेतु अपने कब्जे मे रखा था । अतः संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान करते हुयें अभियुक्त बिरेन्द्र सिन्हा को आरोपित अपराध धारा 34 (1)(ब) छ.ग. आबकारी अधिनियम के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

15. अभियुक्त जमानत पर हैं । अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत पूर्व जमानत मुचलका स्वतंत्र कर भार मुक्त किया जाता हैं ।

16. अभियुक्त द्वारा धारा 437 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत निष्पादित स्वयं का मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा । 6 माह अवधि पश्चात् स्वमेव निरस्त माना जायेगा ।

17. अभियुक्त की पूर्व अभिरक्षा अवधि निरंक हैं । धारा 428 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावें, जो निर्णय का भाग होगा ।

18. प्रकरण में जप्तशुदा 3 बॉटल गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब एवं 1 बॉटल में 375 एम.एल. शराब भरा हुआ कुल मात्रा 2.625 लीटर अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावें एवं शराब बिक्री रकम 200/–(दो सौ रुपये) शासन के पक्ष मे राजसात किया जावें । अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निराकृत किया जावें ।

19. निर्णय की प्रतिलिपि अभियोजन को प्रदान किया जावें ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश में टंकित ।

(गुरु प्रसाद देवांगन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

(गुरु प्रसाद देवांगन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

<u>प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं.</u>

Case No. 976/2022
छ.ग. राज्य वि. बिरेन्द्र सिन्हा

क्रं.	**आरोपी का नाम**	**गिरफ़्तारी दिनांक**	**जमानत पर रिहा होने का दिनांक**	**पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध अवधि**	**न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध अवधि**
1.	बिरेन्द्र सिन्हा आ. घनश्याम सिन्हा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सिंगारपुर थाना ठेलकाडीह जिला के.सी.जे. (छ.ग.)	08.08.2022	08.08.2022	निरंक	निरंक

दिनांकः–06.01.2024
स्थानः– खैरागढ़

(गुरु प्रसाद देवांगन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)